ज्ञापांक–**3521**/तक0/2023

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक–21.06.2023

सेवा में,

AMIT KUMAR,
D Y PATIL INTERNATIONAL SCHOOL,
NETAJI SUBHAS NAGAR, MATRI CHAYA, SARAIDHELA, DHANBAD.

विषय :– **मौजा–DHAIYA, प्लाट नं0–78,79,80,82,83,131, खाता न0–41, वार्ड नं0–00, थाना नं0–06, जिला–धनबाद में निर्मित शैक्षणिक भवन का अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह।**

उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा ऑन–लाईन भेजे गये प्लान के अनुसार संबंधित निर्मित शैक्षणिक भवन के स्थल की भौतिक जाँच प्रभारी अग्निशमन पदाधिकारी, धनबाद के माध्यम से निर्मित स्थल का भौतिक निरीक्षण कराया गया। उन्होंने अपने ज्ञापांक–429 दिनांक–16.06.2023 के माध्यम से समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं प्रतिवेदन में की गई अनुशंसा के आलोक में डाउनलोड किये गये प्लान के अनुसार उक्त शैक्षणिक भवन हेतु निम्नांकित अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते है :–

1. निर्मित शैक्षणिक भवन के सामने वाले भाग में कम से कम 75,000 लीटर क्षमता वाले एक अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस टैंक से अग्निशमन वाहनों को पानी लिये जाने हेतु ड्रॉ–आउट कनेक्शन देने की व्यवस्था की जाय।
3. अग्निशमन कार्य हेतु भवन में कम से कम दस–दस हजार लीटर क्षमता वाले ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
4. शैक्षणिक भवन के चारों तरफ एक रिंग मेन्स का निर्माण किया जाय। जिसमें प्रत्येक 30 मीटर अथवा उसके भाग पर एक–एक यार्ड हाईड्रैण्ड का संस्थापन किया जाय।
5. ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ भवन के सभी स्टेयरकेश में वेट राईजर कम डाउन कमर सिस्टम की व्यवस्था की जाय, जिसके प्रत्येक स्टेयरकेश लॉबी में प्रत्येक तलों पर डिलिवरी आउटलेट एवं 30 मीटर लम्बा होज रील होज संस्थापित कराया जाय।
6. शैक्षणिक भवन के प्रत्येक तलों पर डिलिवरी आउटलेट के पास एक–एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय, जिसमें दो लेन्थ डिलिवरी होज एवं एक–एक अदद ब्रांच विथ नोजल रखा जाय।
7. अग्निशमन कार्य हेतु निर्मित किये जानेवाले पम्प हाउस में 1620 Lpm क्षमता का फायर पम्प संस्थापित कराया जाय।
8. 450ली0/मि0 क्षमता का टेरेस पम्प लगाने की व्यवस्था की जाय।
9. इन सभी पम्पों को स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से जोड़कर रखा जाय।
10. पंपिंग सिस्टम पॉजिटिव सक्शन वाले रहेंगे।
11. भवन में दो सीढ़ी होनी चाहिए एवं सीढ़ियों की चौड़ाई NBC मानक के अनुरूप होनी चाहिए।
12. शैक्षणिक भवन में प्रत्येक स्टेयर केश के प्रत्येक तल पर एक ऐसे मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रोनिक फायर अलार्म लगाये जाने की व्यवस्था की जाय। इसके हूटर की आवाज भवन के हर हिस्से में स्पष्ट सुनाई देने में सक्षम हो।
13. शैक्षणिक भवन परिसर में दो फायर बूथ स्थापित किया जाय, जिसमें निम्नलिखित अग्निशमन यंत्र आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
    i. DCP Fire Extinguisher 06 kg - 04 Nos.
    ii. Fire Bucket - 04 Nos.
    iii. Water CO_2 Fire Extinguisher 09 Ltr- 04 Nos.
14. शैक्षणिक भवन में Travel Distance मानक के अनुरूप होना चाहिए।
15. नर्सरी से कक्षा तीन तक के छात्रो को सतही तल पर बैठाये जाने की व्यवस्था की जाय।
16. सभी क्लास रूम में दो दरवाजे होना चाहिए जो बाहर की ओर खुले।
17. ऑडिटोरियम एवं कम्यूनिटि हॉल के सभी दरवाजे बाहर की ओर खुलने चाहिए।
18. विद्युत मेन कंट्रोल पैनल के पास 4.5 के0जी0 क्षमता का दो अदद CO_2 Fire Extinguisher से सुरक्षित किया जाय।

D Y Patil International School
Principal

D Y Patil International School
Rajeev Kumar
School Manager

19. शैक्षणिक भवन की विद्युत व्यवस्था किसी Licensed Electrician से ही कराये जाँय।
20. शैक्षणिक भवन में प्रति 400 वर्ग मीटर अथवा उसके भाग के लिए दो की दर से 06 के0जी0 क्षमता का DCP Fire Extinguisher रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
21. शैक्षणिक भवन के प्रत्येक कम्प्यूटर रूम अथवा लैब, ऑडिटोरियम एवं लाईब्रेरी में 4.5 के0जी0 क्षमता का दो अदद Co_2 Fire Extinguisher से सुरक्षित किया जाय।
22. शैक्षणिक भवन के प्रत्येक कम्प्यूटर रूम अथवा लैब, ऑडिटोरियम, कम्यूनिटि हॉल एवं लाईब्रेरी को स्मोक डिटेक्शन एवं अलार्म सिस्टम से सुरक्षित किया जाय।
23. शैक्षणिक भवन के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार से कभी भी बाधित न किया जाय, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में Fire Tender के Movement में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
24. मेन इलेक्ट्रिकल स्वीच बोर्ड को Fire Supression System से सुरक्षित किया जाय।
25. शैक्षणिक भवन में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाने की व्यवस्था की जाए।
26. शैक्षणिक भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि–सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जॉच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ हीं आवेदक अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने से पूर्व पूरी तरह भरा हुआ सेल्फ अप्रेजल चेक लिस्ट एवं नोटरी पब्लिक के द्वारा जारी एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।
27. अग्नि–सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस विभाग से कराने के बाद ही अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जायेंगे।
28. शैक्षणिक भवन के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
29. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.2 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से पालन किया जाय।

JAGJEEWAN RAM

Digitally signed by JAGJEEWAN RAM
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND, ou=HOME JAIL AND DISASTER MANAGEMENT,
2.5.4.20=6e18ddf6a747613d2f4c403b5001134ec2902b6bf90be3cc4ac5ffdd851f54d7, postalCode=834002,
st=Jharkhand,
serialNumber=19585870ee67dbaf143b636d6f0c97a7bc8a01d90f3ec025de5383159f431a70, cn=JAGJEEWAN RAM
Date: 2023.06.21 15:11:43 +05'30'

(जगजीवन राम)
प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।

D Y Patil International School
Principal

D Y Patil International School
Rajeev Kumar
School Manager